

1742
27/11/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आरडोएल0आर0 गुदागौडजी

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार पत्रमा-समावली क्र. 2011-18 के खाल स. 16 में राजू पु. शोपाल खाति शुद्ध दर्ज प्रविष्टि है। जबकि प्रार्थी के पत्र आवेदन पर दस्तावेजों में आधा कर में नाम राजेन्द्र सुपर पु. शोपालराम दर्ज है। अतः प्रमाणों में अंतर है कि रामनगर जी वर्तमान समावली क्र. 2011-18 के खाल स-145, 146 में राजू पु. शोपाल के स्थान पर राजेन्द्र सुपर पु. शोपालराम दर्ज उक्त अतिरिक्त प्रविष्टि है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौडजी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
दिनांक 27/11/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला दृष्टान्त (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 27/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरानद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रामनगर	2015 2018	145, 146	राजू पु. शोपाल	राजेन्द्र सुपर पु. शोपालराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1706-07
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 27/11/21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी